आयुक्त न्यायालय, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर

आई.सी.डी.एस. अपील वाद संख्या –115 / 2021

मिनू कुशवाहा

बनाम

राज्य सरकार व अन्य

आदेश

अनुसूची 14– फार्म संख्या–563

आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ ।
18.03.2023	प्रस्तुत अपीलवाद जिलाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी, के आदेश ज्ञापांक 1540 / आई0सी0डी0एस0 दिनांक 18.12.2021 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है, जिस आदेश में जिलाधिकारी ने अपीलकर्ता को चयन मुक्त करने का आदेश दिया है। इस (आयुक्त) न्यायालय में दिनांक 24.12.2021 को अपील वाद दायर किया गया एवं दिनांक 04.06.2022 को वाद को अंगीकृत करते हुए अंतरिम आदेश द्वारा जिलाधिकारी के आदेश पर रोक लगा दी गई, जिसके आलोक में चयनमुक्त पर्यवेक्षिका श्रीमती प्रतिमा कुमारी द्वारा पुनः दिनांक–01.07.2022 से योगदान दिया है एवं कार्यरत है। आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार आवेदिका महिला पर्यवेक्षिका के पद पर कार्यरत रहते हुए अपने दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करती आ रही है, एवं उनपर कभी कोई आरोप नहीं लगा। आवेदिका बाल विकास परियोजना, कल्याणपुर में कार्यरत थी तो ग्राम पंचायत राज सिसवा पटना वार्ड सं0–15 में अवस्थित	

WEB COPY NOT OFFICIAL

आंगनबाड़ी केन्द्र पर सेविका नियुक्ति में अनियमितता का निम्न आरोप लगा –

आरोप सं0–01 बाल विकास परियोजना कल्याणपुर अन्तर्गत ग्राम पंचायत राज सिंसवा पटना वार्ड सं0–15 में अवस्थित आँगनबाड़ी केन्द्र पर बिना वार्ड सदस्य विजय साह के अध्यक्षता में दिनांक 06.08.2019 को आम सभा आयोजित कर सेविका, सरतिमा कुमारी का चयन किया गया।

आरोप सं0–02 चयनित सेविका, सरतिमा कुमारी वार्ड सं0–14 की निवासी है।

आरोप सं0–03 परिवादी, सोनी कुमारी को आम सभा की सूचना नहीं दिया गया और न ही उनके आपत्ति का निराकरण आम सभा में किया गया।

आरोप सं0–04 आम सभा का विडियोग्राफी नही किया गया।

आरोप सं0–05 चयन मार्गदर्शिका 2016 के कंडिका 10 का उल्लंघन किया गया है।

उक्त आरोप के लिए जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी द्वारा अपने ज्ञापांक 1295 दिनांक 05.10.2021 के द्वारा आवेदिका से स्पष्टीकरण की मांग किया गया जिसका जवाब दिनांक 29.10.2021 को आवेदिका द्वारा दिया गया। आरोप सं0–01 के संबंध में आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि दिनांक 06.08.2019 को आम सभा आयोजन की सूचना बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के कार्यालय ज्ञापांक 412 दिनांक 01.08.2019 के द्वारा वार्ड सदस्य–सह–अध्यक्ष विजय साह को दिया गया। जिसमें वे (विजय साह) एवं आम ग्रामीण उपस्थित भी हुए। आम सभा की कार्यवाही पंजी पर उन सभी का हस्ताक्षर है। उक्त केन्द्र पर तीन

WEB COPY NOT OFFICIAL

अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था जिसमें सर्व सहमति से सरतिमा कुमारी का चयन कर लिया गया। साक्ष्य के रूप में आम सभा की कार्यवाही पंजी संलग्न किया गया है। इतना ही नहीं वार्ड सदस्य ने बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं जिलाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर आवेदन भी दिया है एवं स्वीकार भी किया है कि आम सभा के दिन वे उपस्थित थे। कुछ ग्रामीणों द्वारा उनके उपर दबाव बनाकर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, कार्यालय में आवेदन दिलवाया की वे आम सभा में उपस्थित नहीं थे।

आरोप सं0–02 के संबंध में आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि चयनित सेविका (सरतिमा कुमारी) वार्ड न०–14 की नहीं बल्कि वार्ड न०–15 की निवासी है, जो पंचायत मतदाता सूची में वार्ड न०–15, गृह सं0–101 क्रम सं0–205 पर दर्ज है। इतना ही नहीं जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ने भी अपने वाद सं0–71/2015 में इस बात को स्वीकार किया है कि वे वार्ड न०–15 की निवासी है। इनका यह भी दावा है कि दूसरी महिला पर्यवेक्षिका रागिनी कुमारी द्वारा भी अगले आम सभा में सरतिमा कुमारी का ही चयन किया गया है।

आरोप सं0–03 के संबंध में आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी कार्यालय के ज्ञापांक 412 दिनांक 04.08.2019 के द्वारा सभी को सूचना दी गई थी जिसमें सभी उपस्थित भी हुए थे केवल परिवादी आम सभा में उपस्थित नहीं हुई और जब वे उपस्थित ही नहीं हुई तो उनके द्वारा आपत्ति के निराकरण नहीं करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। आरोप सं0–04 के संबंध में आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता का कहना है विडियोग्राफी के लिए विभाग द्वारा कोई राशि नहीं दिया जाता है इसलिए आवेदिका मोबाईल से ही की थी। आवेदिका के विद्वान

WEB COPY NOT OFFICIAL

अधिवक्ता का दावा है कि जिलाधिकारी के आदेश में उल्लेख है कि परिवादी द्वारा विडियोग्राफी उपलब्ध कराया गया। इस संबंध में उनका (आवेदिका) कहना है कि जब परिवादी आम सभा में उपस्थित ही नहीं हुई तो विडियोग्राफी कैसे कर ली, इस बात से स्पष्ट है कि उनका विडियोग्राफी फर्जी है।

आरोप सं0–05 के संबंध में आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि चयन मार्गदर्शिका 2016 के कंडिका 10 के अनुसार आम सभा निर्धारित तिथि एवं निर्धारित स्थान पर वार्ड सदस्य की अध्यक्षता में आयोजित किया गया एवं आम सभा में सर्वोच्य मेधा अंक में प्रतिशत प्राप्त करने वाली अभ्यर्थी का चयन आम सहमति के आधार पर किया गया। इनका दावा है कि सरतिमा कुमारी का चयन किया गया जिसकी जाँच बाल विकास परियोजना पदाधिकारी से करवाया गया जिसमे बाल विकास परियोजना पदाधिकारी ने अपने पत्रांक 750 दिनांक 19.12.2019 से जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया एवं उल्लेख किया कि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी ने स्थल निरीक्षण कर ग्रामीणों का बयान लिया जिसमें पाया गया की आम सभा में वार्ड सदस्य उपस्थित थे। साथ ही उन्होंने यह भी प्रतिवेदित किया की सरतिमा कुमारी वार्ड सं0–15 की निवासी है। महिला पर्यवेक्षिका ने विधिसम्मत् तरीके से सरतिमा कुमारी का चयन किया है। जिलापदाधिकारी ने अभिलेखों का सही तरीके से अवलोकन किये बगैर सेविका के चयन में अनियमितता का गलत आरोप लगाकर एवं अपीलकर्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बगैर चयन मुक्त कर दिया है, जो नैसर्गिक न्याय के प्रतिकूल है एवं खारिज होने योग्य है।

विद्वान सरकारी अधिवक्ता के अनुसार अपीलकर्ता (श्रीमती मीनू कुशवाहा) द्वारा चयन में अनियमितता किया गया है, जिस कारण जिलाधिकारी द्वारा उन्हे दंडित किया गया है।

WEB COPY NOT OFFICIAL

जिलाधिकारी के आदेश में कोई त्रुटि नहीं है।

वादी को उनके विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सरकारी अधिवक्ता को सुनने, वाद अभिलेख एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख में पोषित कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादी (मीनू कुशवाहा) पर मुख्य आरोप वार्ड सदस्य के अनुपस्थिति में आम सभा करने एवं सेविका के चयन में अनियमितता का है। इस संबंध में वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आम सभा पंजी की छायाप्रति इस न्यायालय में दाखिल किया गया है, जिससे प्रतीत होता है कि उक्त आम सभा पंजी पर वार्ड सदस्य '' विजय साह '' का हस्ताक्षर है। निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि वार्ड सदस्य '' विजय साह '' स्वयं जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर इस बात को स्वीकार किया है कि वे आम सभा में उपस्थित थे एवं उनके द्वारा ग्रामीणों के दबाव में ऐसा आवेदन दिया गया था कि उक्त तिथि को वे उपस्थित नहीं रहेंगे। स्पष्ट है कि वार्ड सदस्य का कथन विरोधाभासी है । परन्तु इस संबंध में वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा एक पत्र जो बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के पत्रांक–750 दिनांक–19.12.2019 से संबंधित है, दाखिल किया गया है, जिसमें बाल विकास परियोजना पदाधिकारी ने जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को बिन्दुवार जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है, निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त पर निम्न न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया गया है। अब जहॉ तक शिकायतकर्ता द्वारा विडियोग्राफी प्रस्तुत करने का प्रश्न है तो इस संबंध में सर्वप्रथम तो यह उल्लेखनीय है कि उक्त तिथि को जब शिकायतकर्ता उपस्थित ही नहीं थी तो विडियोग्राफी कैसे कर ली। यदि उनकी इस बात को मान भी लिया जाए तो क्या उक्त विडियोग्राफी की प्रमाणिकता की जॉच करवायी

WEB COPY NOT OFFICIAL

गयी थी ? अब जहॉ तक बात सरतिमा कुमार के चयन का है तो इस संबंध में वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा पंचायत निर्वाचन मतदाता–2016 की सूची दाखिल किया गया है जिसमे वादी को वार्ड संख्सा–15 की निवासी बताया गया है। वादी (मीनू कुशवाहा) पर जो आरोप लगा है उसका बिन्दुवार खंडन उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा साक्ष्य के साथ इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। जिलाधिकारी के आदेश से प्रतीत होता है कि उन्होने इन सभी बिन्दुओ पर विचार किये बगैर अपना आदेश पारित किया है, जिस पर पुनः विचार करना आवश्यक हो जाता है। वादी श्रीमती मीनू कुशवाहा का अन्य पंचायतों/वार्डो में चयन में कैसी भूमिका रही है, उस पर भी विचार करने के बाद एवं चयन के अतिरिक्त अन्य कार्यो का मूल्यांकन कर मुखर आदेश पारित करना अपेक्षित है।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में जिलाधिकारी के आदेश को निरस्त करते हुए इस निदेश के साथ अभिलेख वापस किया जाता है कि वादी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उनके द्वारा उठाये गये तथ्यों पर विचार करते हुए यथाशीघ्र नियमानुकूल आदेश पारित करें।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त **आयुक्त**

WEB COPY NOT OFFICIAL